



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 अप्रैल, 2018 ई0
बैशाख 06, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 213 / XXXVI(3) / 2018 / 32(1) / 2018
देहरादून, 26 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018’ पर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 24 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2018)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

- | | | |
|---|----|--|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है। |
| परिभाषायें। | 2. | (1) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—
(क) "मूल अधिनियम" से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है।
(ख) इस अधिनियम में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं पदों का वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में हैं। |
| मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में संशोधन | 3. | मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में 10 जुलाई 2003 से खण्ड (थ) के पश्चात् प्रयुक्त खण्ड "(द)" शब्द, कोष्ठक व अंक एवं खण्ड "(ग)" शब्द, कोष्ठक व अंको के स्थान पर "(घ)" शब्द, कोष्ठक व अंक रखे जाएंगे। |
| मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) का संशोधन | 4. | मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:
(घ) 'हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 210 द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेज 3-ओखला नई दिल्ली 110020 में है। |
| मूल अधिनियम की धारा 7 का संशोधन। | 5. | मूल अधिनियम की धारा 7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:
(1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं—
(क) मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और औपचारिक विज्ञान का व्यापक अध्ययन, शिक्षण एवं शोध कार्य की व्यवस्था करना;
(ख) विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के विनियमों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से ऐसे महाविद्यालय की स्थापना करना जो उपरोक्त (क) से सम्बन्धित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य नियामकों द्वारा नामपद्धति के प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें;
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों की अनवरत शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए संघटक केन्द्र की स्थापना।
(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अन्तर्गत ऐसी गतिविधियाँ, अध्ययन के क्षेत्र, इन्कुबेशन केंद्र (Incubation Center), स्टार्टअप्स (Start ups) जो शैक्षणिक परिषद समय समय पर अनुसार आवश्यक और प्रासंगिक समझें या सुनिश्चित करें। |

- (2) किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में दिया गया है, अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उनके द्वारा:-
- (क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें वह आवश्यक समझे;
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) व (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के विद्यालयों में ज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना।
- मूल अधिनियम की 6. धारा 8 का संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) (ग) एवं खण्ड (घ) तथा खण्ड (ब) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:
- (क) मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि अध्ययन और औपचारिक विज्ञान तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:-
- (1) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम किया हो; या
- (2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के अधीन शोध कार्य किया हो
- (घ) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों, औद्योगिक दक्ष, तकनीकी अधिकारियों, शोध और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (ब) मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं टेक्नोलोजी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि अध्ययन और औपचारिक विज्ञान तथा सम्बन्धित सभी विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना,
- मूल अधिनियम की 7. धारा 21 की उपधारा (1) का संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (य), (र) एवं (ल) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे, अर्थात्:
- (य) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी।
- (र) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा उद्योग/शोध/शिक्षा के क्षेत्र से नामित तीन प्रख्यात सदस्य।
- (ल) कुलाधिपति द्वारा औद्योगिक जगत के पेशेवर/दक्ष अधिकारियों में से नामित तीन अधिकारी, जिनमें से कम से कम एक नामित अधिकारी तेलों और गैस कम्पनियों से हो।
- मूल अधिनियम की 8. धारा 22 की उपधारा (1) का संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) एवं खण्ड (य) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे, अर्थात्:
- (ब) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
- (य) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन संकायाध्यक्ष/निदेशक;

आज्ञा से,
मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 213/XXXVI(3)/2018/32(1)/2018

Dated Dehradun, April 26, 2018NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The University of Petroleum and Energy Studies (Amendment) Act, 2018**' (Adhiniyam Sankhya: 24 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 April, 2018.

**THE UNIVERSITY OF PETROLIUM AND ENERGY STUDIES
(AMENDMENT) ACT, 2018**

(Uttarakhand Act No. 24 of 2018)

further to amend the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003

AN

ACT

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-Ninth Year of Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| Short title and commencement | 1. (1) This Act may be called the University of Petroleum and Energy Studies (Amendment) Act, 2018.
(2) It shall come into force at once. |
| Definition | 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires:-
(a) "Principal Act" means the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003.
(b) All other words and expressions used in this Act, shall have the same meaning as assigned to it in the Principal Act. |
| Amendment of sub section (1) of section 2 in the principal Act | 3. In sub section (1) of section 2 of the Principal Act, with effect from 10th of July, 2003, after Clause (k), for the word, brackets and figures Clause "(l)", the word, brackets and figures Clause "(l)" and for the word, brackets and figures Clause "(m)", the word, brackets and figures Clause "(m)" shall be substituted. |

Amendment of clause (m) of sub section (1) of section 2 of the Principal Act

4. In the existing clause (m) of sub section (1) of section 2 of the Principal Act. shall be substituted as follows; namely:

(m) "Hydrocarbons Education and Research Society" means Society registered under Societies Registration Act. 1860 having registered office presently at 210, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase III, Okhla, New Delhi 110020.

Amendment of section 7 in the Principal Act

5. In the existing section 7 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely:

(1) The objective for which the University has been established are as follows:-

(a) To provide extensive study, teaching and research in Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering Technology, Medical, Dental & Health Science, Law Studies and Formal Science;

(b) To establish such college under the Regulation of University Grants Commission with prior permission of University Grants Commission and the State Government which may provide Certificate, Diploma, Undergraduation, Post Graduation and Ph.D. Courses related to the abovesaid (a) and of nomenclature by UGC and other Regulatory;

(c) To establish constituent Center under the Regulation of University Grants Commission with prior permission of University Grants Commission and the State Government for the purpose of continuous education of the courses mentioned in abovesaid (a) and (b) to provide education through distance learning program;

(d) Such activities or fields of study, incubation centers, startups etc which the Academic council deems or ensure necessary and relevant from time to time under the regulation of University Grants Commission;

(2) To establish an R & D center to promote research and innovations in any discipline as in Section 7(1) (a) and (b) above and thereby,

(a) To provide for instructions and training in such related branches of learning as it may deem fit;

(b) To provide for research for the advancement and Dissemination of knowledge in the college of any discipline mentioned in clause (a) and (b) of subsection (1) of section (7).

Amendment of section 8 of The Principal Act.

6. In the existing clause (a), (b), (c) and clause (p) and Clause (t) of section 8 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely:-

(a) To provide for instructions in all disciplines related to Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering, Technology, Medical, Dental & Health Science and Formal Science and to make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge therein;

- (b) To carry out all such activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
- (c) To hold examinations for, and to institute Grants and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who:-
- (1) Have pursued a Program of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at regional Center/Study Center/Career Academy Centre; or
- (2) Have carried on research in the University or in a constituent body.
- (p) To organize and conduct courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for industry professionals, teachers, lesson writers, evaluators, research staff, academic staff, technical officers, students;
- (t) To prescribe such course for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start diplomas and certificates, etc in Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering, Technology, Medical, Dental & Health Science, Legal Studies and Formal Science and related subjects:

Amendment of subsection (1) of section 21 of the Principal Act.

7. In the existing clause (e), (f) and (g) of sub section (1) of section 21 of the Principal Act, shall be substituted as follows, namely:-
- (e) A Nominee Officer from Institutions of National Importance (as maintained by MHRD, Government of India), nominated by the Chancellor;
- (f) Three Eminent Persons from Industry/Research/Academics nominated by the Visitor;
- (g) Three nominee officers from the Professionals/ Experts of the Industrial world, nominated by the Chancellor including at least one nominated officer from the Oil & Gas companies;

Amendment of subsection (1) of section 22 of the Principal Act.

8. In the existing clause (b) and clause (e) of section (1) of sub section 22 of the Principal Act, shall be substituted as follows, namely:-
- (b) A Nominee from Institutions of National Importance (as maintained by MHRD Government of India) nominated by the Chancellor;
- (e) Three Deans/ Directors of the Faculties as nominated by the Chancellor;

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

वर्ष 2003 में मुख्य रूप से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन, और उससे संबंधित क्षेत्रों में शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रख्यापन कर "पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून" की स्थापना की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा—मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी अध्ययन व अन्य विषयों में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम में अपेक्षित संशोधन प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

Statement of Objectives and Causes

The University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun was established vide enactment of "The University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003" primarily to facilitate the teaching, training and research work in the field of petroleum and energy studies and related fields. Presently for the purpose of providing high level education in the various other courses like humanities social sciences, Engineering and Technology and other subjects by the University, in addition to exciting courses the amendment is proposed in the Principal Act.

2- The proposed Bill fulfills the above objectives.